駐新德里台北經濟文化中心 與 駐台北印度台北協會 間 關於關務互助協定

序文

駐新德里台北經濟文化中心與駐台北印度台北協會(以下單獨稱「締約一方」及合併稱「締約雙方」),鑑於違反關務法令之行為有害於締約雙方之經濟、財政及商業利益,以及鑑於其正確核課關稅及其他稅收之重要性;認知締約雙方在各自關務之管理及執行等相關事宜有賴於合作,顧及國際條約對特定物品之禁止、限制及特別管制規定,確信經由駐新德里台北經濟文化中心與駐台北印度台北協會指定之代表間的合作,更能有效打擊違反關務行為,並尊重關務合作理事會 1953 年 12 月 5 日關於行政互助之建議,爰議定條款如下:

第一條:定義

就適用本協定而言:

- 一、駐新德里台北經濟文化中心指定之代表為臺灣財政部關政司,駐台北印度台北協會指定之代表為印度財政部稅收司中央消費稅暨關稅局;以下合併稱「雙方海關主管機關」及單獨稱「一方海關主管機關」;
- 二、「關務法規」係指雙方海關主管機關所執行有關貨物進口、出口、轉運或流通之關稅、規費和其他稅捐,或有關對貨物跨越各自領域邊境移動禁止、限制及其他類似管制措施的法律和規則;

- 三、「資訊」係指任何形式的資料、文件、紀錄和報告,或 是其經認證或鑑定之版本;
- 四、「違反關務法規」之行為係指違反或意圖違反關務法令 之行為;
- 五、 「人」係指任何自然人或法人;
- 六、 「請求機關」係指請求協助之一方海關主管機關;
- 七、 「受請求機關」係指被請求協助之一方海關主管機關;
- 八、 「請求方」係指請求協助之一方;
- 九、 「受請求方」係指被請求協助之一方;

第二條:協定範圍

- 一、締約雙方應經由雙方海關主管機關,依據本協定之規定,彼此協助以防範、調查及打擊任何違反關務法令之行為:
- 二、依本協定所提供之互助,受請求機關應依據其領域內國內法之規定,且於能力及可得資源之限度下,提供請求之協助;
- 三、本協定僅以締約雙方及雙方海關主管機關間之相互協助 為限,本協定之規定不得導致任何個人具有取得、隱匿 或排除任何證據,或妨礙請求履行之權利。

第三條:一般協助範圍

- 一、受請求時,一方海關主管機關應以提供確保雙方海關主管機關執行關務法令並正確估算關稅及其他稅捐所需資訊之方式,執行協助;
- 二、 一方海關主管機關得依請求或職權以提供下列資訊之方 式執行協助,但並不以此為限:
 - (一) 處理旅客及貨物通關之方法和技巧;

- (二) 成功運用執行工具及技巧之經驗;
- (三)得有效抑制違反法令行為之執行活動,特別是打擊違反關務法令行為之特殊方法;及
- (四) 用於進行違反行為及非法走私案例之新方法。
- 三、 雙方海關主管機關將在下列活動中互助合作:
 - (一)建立及維繫溝通管道,以便促進安全和迅速之資訊 交流;
 - (二) 促成有效之協調;
 - (三)新設施或關務程序之使用及測試;
 - (四) 定期提供資訊以協助鎖定國際非法走私行為;
 - (五)互相交換有關關務之法律、規章、實務與程序等專業知識;
 - (六) 培訓海關人員特殊技術之訓練活動及能力建構;及
 - (七)任何其他需要共同決策及採取聯合行動之事項

第四條:特殊協助範圍

- 一、依請求,雙方海關主管機關應相互通知由締約一方之領域 輸出之貨物是否合法輸入另一方之領域或由締約一方之領 域輸入之貨物是否由另一方之領域合法輸出。若受請求 時,此等資訊應包括用於該貨物通關之程序。
- 二、 依請求,受請求機關,應配合監督下列事項:
 - (一)請求機關所知已違反關務法規行為或有違反嫌疑之人,尤其是正進出其領域者;
 - (二)無論在運輸中或倉儲中經請求機關指認有非法走私 入境嫌疑之貨物;
 - (三) 在請求機關領域內用於違反關務法令之運輸工具;
 - (四)在受請求機關領域內之處所已知或被懷疑用於與請求機關領域內違反關務法令之行為有關。

- 三、雙方海關主管機關依請求或依職權應相互提供有關可能在 另一方海關主管機關之領域內造成違反行為之資訊。倘有 涉及嚴重危害他方海關主管機關領域內經濟、公共衛生、 公共安全、環境、安全或其他類似重大利益之情形,雙方 海關主管機關亦應主動儘可能提供詳實資訊。
- 四、依請求,雙方海關主管機關應提供敘明貨物之目的地、貨 名、數量、價值、原產地和其處理情形之相關運送資訊。

第五條:資訊交換

- 一、請求機關僅得於副本不足以證明之情形下始得請求文件和 其他物件之正本。依請求,受請求機關應提供經過適當認 證之文件和其他物件之副本。
- 二、除非請求機關特別請求正本或副本,受請求機關得傳送任何形式之電腦資訊。受請求機關應同時提供闡述或利用該電腦資訊之所有相關資訊。
- 三、若經受請求機關同意,則請求機關所指定之官員得在受請 求機關官署所在地,檢視有關違反行為之資訊,並且影印 或摘錄該資訊。
- 四、如受請求機關要求返還時,提交之文件及其他物品之正本應儘速返還;受請求機關或第三者之相關權利應不受影響。
- 五、依本協定所提交之文件及資訊倘非為英文,均須附上經認 證與原文內容相當之英文版本。

第六條:證人

- 一、除非在特殊情況下,受請求機關應授權其人員出席提出 請求機關領域內之司法或行政程序做為證人,並且提出 該程序所必要之文件或其他認證副本。
- 二、倘受請求作證官員享有任何豁免權,受請求機關應考量 於適當程度內放棄此項豁免權。

第七條:請求之溝通

- 一、依據本協定所為之請求,應由各雙方海關主管機關指定 之官員直接以書面通知對方。有助於執行之資訊應隨案 送;情況緊急時,口頭提出之請求得予受理,但應立即 以書面確認。
- 二、 請求之書面應包括下列資料:
 - (一)提出請求之機關名稱;
 - (二)請求事項或訴訟程序之性質;
 - (三)涉案事實和違反行為之簡單描述;
 - (四)請求原因;
 - (五)如已知涉及事實或訴訟程序之當事人,其名稱和地 址。

第八條:請求之執行

- 一、受請求機關應盡力提供一切合理措施來執行請求,並且 應致力於確保任何必要措施之執行,以完成該請求。
- 二、若受請求機關並非執行請求之適當機關,應儘速將其移 送至適當機關處理,並將結果告知請求機關。
- 三、受請求機關應進行執行請求所必要之檢查、查驗、詢問 事實真相或其他調查步驟,包括傳訊專家、證人及有違 反行為嫌疑之人。倘獲受請求機關許可,請求機關之官

員得僅以諮詢身分出席受請求機關所進行之前開調查活動。

- 四、依請求,請求機關應被告知執行請求所須時間及執行請 求之地點。
- 五、受請求機關應允之請求,需係遵守特定程序提出者,而 該程序必須是其國內法未予禁止者。
- 六、受請求機關應儘速提供所請求資訊,並以 6 個月內完成 為宜。

第九條: 資訊保密

- 一、依據本協定而取得之資訊,請求機關應賦與和其他類似 資訊相同程度之機密性。
- 二、依據本協定取得之資訊僅得基於本協定所指定之用途, 加以使用或揭露,包括使用在司法、行政、刑事或調查 程序中;惟若供應資訊之海關主管機關以書面明示許可 使用或揭露時,則此等資訊得因其他用途或由其他機關 使用或揭露。
- 三、在受請求機關請求時,請求機關除非係為實現本協定目的所需或是受請求機關已賦與其同意權,應將所收受資訊視為機密文件。受請求機關請求保密時,應說明其理由。
- 四、依請求海關主管機關內之憲法或相關法律規定,涉及刑事追訴案件,有使用或揭露資訊之義務時,本條規定不得排斥之。但請求機關應事先向受請求機關發出通知說明其欲為此等揭露。

第十條:豁免

- 一、倘受請求機關認為給予協助將侵害該一方所代表領域內安全、公共政策或其他類似重大國家利益,或是與其國內法規不符時,受請求機關得拒絕或保留該項協助,或是限定其應符合若干條件或規定。
- 二、倘請求機關認為其本身若被受請求機關做同等請求,亦 將無法提供該項協助時,應於請求時提請他方注意。受 請求機關有權裁量是否應允所請。
- 三、受請求機關得以其妨礙進行中之調查、起訴或訴訟程序 為由,而延後其協助。若有此等情事,受請求機關應和 請求機關諮商,以便決定是否依請求機關所定條款或條 件提供協助。
- 四、若請求無法照准,應立即通知請求機關,並敘明延後或 拒絕所請求之理由。對該請求之後續發展可能有重大影 響之情勢,亦應一併告知請求機關。

第十一條:費用

- 一、締約雙方及其指定代表通常應放棄執行本協定所生費用之所有補償請求,但專家和證人之費用,以及非雙方所代表之機關人員之翻譯和通譯費用等不在此限。
- 二、倘執行請求需支出或將支出重大而特別之費用,締約雙 方及其指定代表應協商決定執行請求之條款與條件及負 擔該費用之方式。
- 三、本協定之任何費用應透過駐新德里台北經濟文化中心與 駐台北印度台北協會辦理。

第十二條:協定之執行

- 一、依本協定規定,雙方海關主管機關應透過締約之雙方, 互相告知其所指定官員之相關資訊。
- 二、雙方海關主管機關應
 - (一)直接溝通以處理由本協定所產生之事項
 - (二)於諮商後,提出執行本協定必要之行政指導方針; 及
 - (三)致力達成共識,以便解決因解釋或適用本協定而生 之問題;
- 三、無法由雙方海關主管機關解決之爭議應提交締約雙方透 過雙邊諮商設法解決。

第十三條:適用範圍

本協定應適用於雙方海關主管機關之領域。

第十四條:生效及終止

- 一、 本協定應自簽署日之次月1日起生效。
- 二、任何一方得隨時通知另一方而終止本協定,並自終止通知發出日後3個月即生效力;但於終止時正進行之程序仍應依本協定之規定完成之。
- 三、締約雙方及其指定代表應於必要時或於本協定生效屆滿 5 年時,會商檢討本協定,但任何一方以書面通知他方無 檢討必要時,則不在此限。
- 四、締約雙方代表經雙方主管機關授權,爰於本雙邊關務行 政互助協定簽署,以昭信守。

本協定一式二份,於 2011 年 7 月 12 日在新德里分別以中 文、印度文及英文簽署,所有文本同一作準;解釋分歧時,以 英文本為準。

駐新徳里 台北經濟文化中心 駐台北 印度台北協會

的为强


(翁文祺)

代表

PRADEEP KUMAR RAWAT

(羅國棟)

會長



सीमा शुल्क संबंधी मामलों पर पारस्परिक सहायता के लिए नई दिल्ली में ताइपेई आर्थिक एवं सांस्कृतिक केन्द्र तथा ताइपेई में भारत-ताइपेई संघ के बीच करार

नई दिल्ली में ताइपेई आर्थिक एवं सांस्कृतिक केन्द्र (टी ई सी सी) तथा ताइपेई में भारत-ताइपेई संघ (आई टी ए), एतद्पश्चात् एकवचन में 'पक्षकार' और संयुक्त रूप से 'पक्षकारों' के रूप में उल्लिखित,

इस बात पर विचार करते हुए कि सीमा शुल्क विधान के विरुद्ध अपराध राजकोषीय एवं वाणिज्यिक हितों के लिए हानिकर हैं;

साथ ही सीमा शुल्कों एवं अन्य करों के सही सही मूल्यांकन के आश्वासन के महत्व को समझते हुए;

सीमा शुल्कों के प्रशासन एवं प्रवर्तन से संबंधित मामलों में सहयोग की आवश्यकता को महसूस करते हुए;

विशिष्ट माल के मामले में निषेधों, प्रतिबंधों और नियंत्रण के विशेष उपायों वाले अंतर्राष्ट्रीय समझौतों का सम्मान करते हुए;

इस बात से संतुष्ट होकर कि सीमा शुल्क अपराधों के विरुद्ध कार्रवाई टी ई सी सी एवं आई टी ए के प्राधिकृत प्रतिनिधियों के बीच सहयोग द्वारा और प्रभावी बनाई जा सकती है; तथा

5 दिसम्बर, 1953 की पारस्परिक प्रशासनिक सहायता के संबंध में सीमा शुल्क सहयोग परिषद्ध की सिफारिश का सम्मान करते हुए;

निम्नलिखित के लिए सहमत हुए:

अनुच्छेद-1 परिभाषाएं

इस करार के उद्देश्यों के लिए:

1. टी ई सी सी का प्राधिकृत प्रतिनिधि सीमा शुल्क प्रशासन विभाग, वित्त मंत्रालय है एवं आई टी ए का प्राधिकृत प्रतिनिधि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क सीमा शुल्क बोर्ड, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय है और जिन्हें एतद्पश्चात संयुक्त ्रण में ''सीमा शुल्क प्रशासन'' तथा एक वचन में ''सीमा शुल्क प्रशासन'' के

- 2. सीमा शुल्क विधान'' का अर्थ माल के आयात, निर्यात और स्थानांतरण अथवा परिचालन से संबंधित सीमा शुल्क प्रशासनों द्वारा प्रवर्तित हिंधान एवं विनियम हैं क्योंकि वे सीमा शुल्कों, प्रभारों और अन्य करों अथवा साल के उनके क्षेत्रों से सीमा पार गमन के संबंध में अन्य ऐसे ही नियंत्रण से सुवंधित हैं;
- हैं सूचना'' का अर्थ है किसी भी रूप में आंकड़े, दस्तावेज, रिकार्ड और दिपोर्ट अथवा उनकी अधिप्रमाणित अथवा प्राधिकृत प्रतियां;
- 4. सीमा शुल्क अपराध'' का अर्थ होगा सीमा शुल्क विधान का कोई इल्लंधन अथवा उल्लंधन का कोई प्रयास;
- व्यक्ति'' का अर्थ होगा प्राकृतिक अथवा विधिक व्यक्ति;
- 6. प्रार्थी प्रशासन'' का अर्थ होगा सीमा शुल्क प्रशासन जो सहायता के लिए अनुरोध करता है;
- गृथित प्रशासन'' का अर्थ होगा सीमा शुल्क प्रशासन जिनसे सहायता
 के लिए अनुरोध किया जाता है;
- 8. प्रार्थीपक्षकार'' का अर्थ है पक्षकार जो सहायता के लिए अनुरोध करता है;
- 9. प्रार्थित पक्षकार'' का अर्थ है पक्षकार जिनसे सहायता का अनुरोध किया जाता है।

अनुच्छेद-2 करार का क्षेत्र

 पक्षकार अपने सीमा शुल्क प्रशासन के माध्यम से किसी सीमा शुल्क अपराध को रोकने, उसकी जांच करने और उसका निवारण करने में इस करार के प्रावधान के अनुसार एक दूसरे की सहायता करेगा।

- 2. इस करार के अंतर्गत पारस्परिक सहायता प्रार्थित प्रशासन के क्षेत्र में लागू चरेलू कानूनों के अनुसार तथा उसकी दक्षता और उपलब्ध संसाधनों के अंतर्गत प्रलब्ध की जाएगी ।
- 3 इस करार का उद्देश्य पक्षकारों तथा सीमा शुल्क प्रशासनों के बीच केवल शास्त्रपरिक सहायता करना है और इस करार के प्रावधान से किसी निजी व्यक्ति की किसी साक्ष्य को प्राप्त करने, छुपाने, उसे हटाने अथवा अनुरोध पूरा करने में वाधा उत्पन्न करने के अधिकार में वृद्धि नहीं होगी।

अनुच्छेद-3 सामान्य सहायता का क्षेत्र

- ि अनुरोध किए जाने पर सीमा शुल्क प्रशासन सीमा शुल्क प्रशासनों द्वारा सीमा शुल्क विधानों के प्रवर्तन तथा सीमा शुल्कों एवं अन्य करों के सटीक खुल्यांकन को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक सूचना देकर सहायता करेगा।
- 2. अनुरोध किए जाने पर अथवा अपनी पहल से सीमा शुल्क प्रशासन जिस्निलिखित सिहत (परन्तु निम्निलिखित तक ही सीमित नहीं) सहायता प्रदान कर सकता है:
- (क) यात्री एवं कार्गो की निकासी की कार्यवाही की पद्धतियां एवं तकनीकें;
- 🚾) प्रवर्तन सहायताओं एवं तकनीकों का सफल अनुप्रयोग;
- (बा) प्रवर्तन कार्रवाईयां जो अपराधों को रोकने में उपयोगी हो सकती हैं तथा विशेष तौर पर सीमा शुल्क अपराधों का निवारण करने के विशेष साधन; और
- (ध)) अपराधों को अंजाम देने तथा अवैध तस्करी मामलों में प्रयुक्त नई पद्धतियां।
- 🗓 🔻 सीमा शुल्क प्रशासन निम्नलिखित में सहयोग करेगा:
- (क) सूचना के सुरक्षित एवं त्वरित विनिमय को सुकर बनाने के लिए संवाद चैनल स्थापित करना एवं उन्हें बनाए रखना;
- 🥨 प्रभावी समन्वय सुकर बनाना;
- 👊 नए उपस्कर अथवा सीमा शुल्क प्रक्रियाओं का प्रयोग तथा उनकी जांच;
- (ए) अंतर्राष्ट्रीय अवैध तस्करी को पकड़ने में सहायक सूचना का नियमित

- (্ৰ.)) श्लीमा शुल्क विधानों एवं विनियमों, प्रक्रियाओं एवं पद्धतियों के जानकार विशेषज्ञों का विनिमय;
- (खा) सीमा शुल्क कार्मिकों के लिए विशिष्ट कौशल विकसित करने में प्रशिक्षण कार्यकलाप एवं क्षमता निर्माण; तथा
- (⑤) कोई अन्य मामला जिसके लिए समय-समय पर उनके संयुक्त विचार एवं कार्रवाई अपेक्षित हैं।

अनुच्छेद-4 विशिष्ट सहायता का क्षेत्र

- 1) अनुरोध किए जाने पर सीमा शुल्क प्रशासन एक दूसरे को सूचित करेगा कि एक सीमा शुल्क प्रशासन के क्षेत्र से निर्यातित माल का दूसरे सीमा शुल्क प्रशासन के क्षेत्र में विधिसम्मत आयात हुआ है या नहीं अथवा एक सीमा शुल्क प्रशासन के क्षेत्र में आयतित माल का दूसरे सीमा शुल्क प्रशासन के क्षेत्र में आयतित माल का दूसरे सीमा शुल्क प्रशासन के क्षेत्र से विधिसम्मत निर्यात हुआ है अथवा नहीं। यदि अनुरोध किया जाता है तो सूचना में माल की निकासी के लिए प्रयुक्त सीमा शुल्क प्रक्रिया का उल्लेख भी होगा।
- अनुरोध किए जाने पर प्रार्थित प्रशासन निम्नलिखित की विशेष निगरानी भी उपलब्ध कराएगा:
- (क) वह व्यक्ति जो प्रार्थी प्रशासन की जानकारी में कोई सीमा शुल्क अपराध कर चुका है या ऐसा करने का संदिग्ध है, विशेषकर वे जो उसके भू-भाग में आते जाते रहते हैं;
- (ख) प्रार्थी प्रशासन द्वारा अभिचिहिनत ऐसे माल जो परिवहन या भंडार में हों जो इसके भू-भाग में अवैध व्यापार की आशंका पैदा कर रहे हों;
- (ग) प्रार्थी प्रशासन के भू-भाग में परिवहन के साधन जिनके बारे में अपराध में प्रयोग किए जाने की आशंका हो; और
- (घ) प्रार्थी प्रशासन के भू-भाग में प्रांगण जिनके बारे में प्रार्थी प्रशासन के भू-भाग में कोई सीमा शुल्क अपराध में प्रयोग किए जा चुकने की जानकारी या प्रयोग किए जाने की आशंका हो ।
- 3. अनुरोध पर या अपनी पहल पर सीमा शुल्क प्रशासन एक दूसरे को ऐसी गितिविधियों के बारे में जानकारी देंगे जो दूसरे सीमा शुल्क प्रशासन के भू-भाग में अपराधों को जन्म दे सकते हैं। ऐसी परिस्थितियों में जो सीमा शुल्क प्रशासन के भू-भाग की अर्थ व्यवस्था लोक स्वास्थ्य, लोक सुरक्षा, पर्यावरण, सुरक्षा या

िर्जा अन्य महत्वपूर्ण हित को भारी क्षति पहुंचा सकते हों, सीमा शुल्क प्रशासन

3 अनुरोध करने पर सीमा शुल्क प्रशासन माल के परिवहन और नौप्रेषण के विरोध की जानकारी देगें जिसमें ऐसे माल का गंतव्य, विवरण, मात्रा, मूल्य, उद्गम

अनुच्छेद-5 सूचनाओं का आदान-प्रदान -

- प्रार्थी प्रशासन केवल ऐसे मामलों में मूल प्रलेखों एवं अन्य सामग्रियों का अनुरोध कर सकता है जहां उनकी प्रतियों की उपलब्धता से इस करार के लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं होती। अनुरोध करने पर, प्रार्थित प्रशासन ऐसे प्रलेखों और अन्य सामग्रियों की समुचित प्रमाणित प्रतियां उपलब्ध कराएगा।
- श्रुच जब तक प्रार्थी प्रशासन विनिर्दिष्ट रूप से मूल या प्रतिलिपियों का अनुरोध नहीं करता, प्रार्थित प्रशासन किसी भी स्वरुप में कम्प्यूटर आधारित सूचनाएं प्रेषित कर सकता है। साथ ही साथ प्रार्थित प्रशासन कम्प्यूटर आधारित सूचनाओं के निर्वचन या प्रयोग से संबंधित सभी संगत सूचनाएं भेजेगा।
- 3. यदि प्रार्थित प्रशासन सहमत होता हो, तो प्रार्थी प्रशासन द्वारा नामनिर्दिष्ट कर्मचारी प्रार्थित प्रशासन के कार्यालय में किसी अपराध से संबंधित सूचनाओं की जांच कर सकता है और उसकी प्रतियां बना सकता है या उससे सूचनाएं निष्कासित कर सकता है।
- 4. भेजे गए मूल प्रलेख और सामग्रियां यथाशीघ्र वापस कर दी जाएंगी यदि प्रार्थित प्रशासन ने उनकी वापसी के लिए ऐसा अनुरोध किया है; प्रार्थित प्रशासन या उससे संबंधित तृतीय पक्षकार के अधिकार अप्रभावित बने रहेंगे ।
- 5. यदि इस अनुबंध के अनुवर्तन में विनिर्मित सूचनाएं अंग्रेजी से इतर किसी भाषा में होंगी, तो उसके साथ प्रमाणित अंग्रेजी संस्करण भेजा जाएगा ।

अनुच्छेद-6 साक्षी

1. औपवादिक परिस्थितियों को छोड़कर, प्रार्थित प्रशासन अपने कर्मचारियों को प्रार्थी प्रशासन के भूभाग में न्यायिक या प्रशासनिक कार्यवाहियों में साक्षी के ्र हैं। इपस्थित होने तथा प्रलेख, अन्य सामग्री या उनकी प्रमाणित प्रतिलिपियां करहे के लिए प्राधिकृत करेगा।

हां साक्षी के रूप में उपस्थित होने के लिए प्रार्थित कर्मचारी किसी लागू जिल्हा का पात्र है प्रार्थित प्रशासन ऐसी शर्तों के अधीन प्रतिरक्षा समाप्त करने जिल्हा सहानुभूति पूर्वक विचार करेगा, जो वह समुचित समझे ।

अनुच्छेद-7 अनुरोधों का सम्प्रेषण

- इस अनुबंध के अनुसरण में अनुरोध लिखित रूप में सीधे संबंधित सीमा जुल्क प्रशासनों द्वारा नामनिर्दिष्ट नोडल अधिकारियों के बीच किया जाएगा और दूखरे सीमा शुल्क प्रशासन को अधिसूचित किया जाएगा। अनुरोधों के निष्पादन के लिए उपयोगी सूचनाएं अनुरोध के साथ होंगी। तात्कालिक परिस्थितियों में, जिल्क अनुरोध किए और स्वीकार किए जा सकते हैं लेकिन तुरंत लिखित रूप श्री जुष्टि की जाएगी।
- 🛚 📞 अनुरोधों में निम्नलिखित शामिल किए जाएंगे :
- 🚳) अनुरोध करने वाले प्राधिकारी का नाम;
- (ा) मामले या कार्यवाही की प्रकृति;
- (व्या) शामिल तथ्यों और अपराधों का संक्षिप्त विवरण;
- 🗐) अनुरोध का कारण; और
- (G.) मामले या कार्यवाहियों से संबंधित पक्षकारों के नाम और पते, यदि जात हों।

अनुच्छेद-8 अनुरोध का निष्पादन

- प्रार्थित प्रशासन किसी अनुरोध के निष्पादन के लिए सभी तर्कसंगत अपाय करेगा और इस उद्देश्य के लिए आवश्यक किसी उपाय का निष्पादन करने
- े यदि प्रार्थित प्रशासन किसी अनुरोध का निष्पादन करने का समुचित अधिकरण नहीं है तो वह समुचित घरेलू अभिकरण को अनुरोध का निष्पादन रही का अनुरोध करेगा और प्रार्थी प्रशासन को परिणाम की सूचना देगा।

- प्रार्थित प्रशासन विशषजों, गवाहों, अपराध करने के संदिग्ध व्यक्तियों से ज्ञान करने समेत ऐसे निरीक्षण, सत्यापन, तथ्य-खोजी पूछताछ या अन्य अन्वेषी कदम उठाएगा, जो किसी अनुरोध के निष्पादन के लिए आवश्यक हों। जार्थी प्रशासन के कर्मचारी, प्रार्थित प्रशासन की पूर्वानुमित से, पूर्णतः सलाहकार की क्षमता में प्रार्थित प्रशासन द्वारा संचालित उपर्युक्त कारवाइयों के दौरान उपिस्थत रह सकते हैं।
- 4, अनुरोध करने पर प्रार्थी प्रशासन को किसी अनुरोध के निष्पादन में लगने वाली समय तथा कार्रवाई के स्थान की सलाह दी जाएगीं।
- 5. प्रार्थित प्रशासन किसी ऐसे अनुरोध का अनुपालन करेगा कि किसी प्रक्रिया का इस प्रकार अनुसरण किया जाए कि वह प्रक्रिया उसके घरेलू कानूनों क्षे निषद्ध न हो।
- है प्रार्थित प्रशासन प्रार्थित सूचनाएं शीघ्रातिशीघ्र, वरीयतः ६ माह की अवधि के भीतर उपलब्ध कराएगा ।

अनुच्छेद-९ सूचनाओं की गोपनीयता

- ी इस अनुबंध के अंतर्गत प्राप्त सूचनाओं को प्रार्थी प्रशासन द्वारा उसी तरह की गोपनीयता प्रदान की जाएगी, जो उसके कब्जे में ऐसी सूचनाओं को दी जाती
- 2. इस अनुबंध के अंतर्गत प्राप्त स्चनाओं का प्रयोग या प्रकटन केवल इस अनुबंध में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों से ही किया जा सकता है जिसमें न्यायिक, प्रशासनिक, आपराधिक या अंवेषण की कार्यवाहियां शामिल हैं। ऐसी स्चनाओं का प्रयोग का प्रकटन अन्य प्रयोजनों या अन्य प्राधिकारियों के लिए किया जा सकता है यदि प्रार्थित प्रशासन ने लिखित रूप से ऐसे प्रयोग या प्रकटन को व्यक्त रूप से अनुमोदित कर दिया हो।
- प्रार्थित प्रशासन के अनुरोध पर, प्रार्थी प्रशासन प्राप्त सूचनाओं को इस अनुबंध के प्रयोजनों की पूर्ति के लिए आवश्यक सीमा तक या जिस सीमा तक प्रार्थित प्रशासन ने अपनी सहमित दी है, को छोड़कर गोपनीय रखेगा। प्रार्थित प्रशासन गोपनीयता का अनुरोध करने का कारण बताएगा।

यह अनुच्छेद उस सीमा तक सूचनाओं के प्रयोग का प्रकटन को वर्जित करती कि किसी आपराधिक अभियोजन के संबंध में प्रार्थी प्रशासन के बियादा या संगत कानूनों के अंतर्गत ऐसा करना बाध्यकारी है। प्रार्थी प्रशासन बिद्धा प्रशासन को ऐसे किसी प्रस्तावित प्रकटन की अग्रिम सूचना देगा।

अनुच्छेद-10 छुटें

- यदि प्रार्थित प्रशासन निर्धारित करता है कि सहायता देने से उसकी जुल्ला, लोकनीति या ऐसे ही आवश्यक हितों या उल्लंघन होता है या उसके घरेलू जाडूनों या विनियमों से संगत नहीं होगा तो प्रार्थित प्रशासन सहायता से मना लग्न सकता है या उसे रोक सकता है या उसे कतिपय शर्ती या अपेक्षाओं के अधिन दे सकता है।
- 23 यदि प्रार्थी प्रशासन प्रार्थित प्रशासन द्वारा किए गए किसी ऐसे अनुरोध का अनुशालन करने में असमर्थ होगा, तो वह अपने अनुरोध में उस तथ्य की ओर ज्यानाकर्षण करेगा । ऐसे अनुरोध का अनुपालन करना प्रार्थित प्रशासन के विवेक ज्य होगा।
- 3. प्रार्थित प्रशासन इस आधार पर सहायता को मुल्तवी कर सकता है कि यह किसी चल रही जांच, अभियोजन या कार्यवाही में हस्तक्षेप करेगा। ऐसे आमलों में प्रार्थित प्रशासन प्रार्थी प्रशासन से यह निर्धारित करने के लिए परामर्श करेगा कि क्या सहायता ऐसे निबंधनों एवं शर्तों के अधीन दी जा सकती है जो प्रार्थित प्रशासन चाहता है।
- ऐसे मामले में जब अनुरोध का पालन नहीं किया जा सकता, तो प्रार्थी प्रशासन को शीघ्रता से सूचित किया जाएगा और उसे अनुरोध को मुल्तवी या खना करने के कारणों का विवरण दिया जाएगा। प्रार्थी प्रशासन को उन प्रिसिश्वतियों की भी जानकारी दी जाएगी जो मामले की आगे की पैरवी के लिए खहत्वपूर्ण हो सकती हैं।

अनुच्छेद-11 लागत

पक्षकार और उनके नामनिर्दिष्ट प्रतिनिधि सामान्यतया इस अनुबंध के अनुपालन के संबंध में वहन किए गए लागतों के दावों को छोड़ देंगे। इसका

• .7

अपवाद विशेषज्ञों और गवाहों के व्यय, विशेषज्ञों की फीस, पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत प्राधिकरणों के कर्मचारियों से इतर अनुवादकों और दुभाषियों की लागते हैं।

- 2. यदि अनुरोध का निष्पादन करनें के लिए किसी सारभूत असाधारण प्रकृति के व्यय की जरुरत होगी, तो पक्षकार और उनके नामनिर्दिष्ट प्रतिनिधि उन निबंधनों एवं शर्तों को तथा जिस तरह लागत को वहन किया जाएगा उन तरीकों को निर्धारित करने के लिए परामर्श करेंगे।
- 3. इस अनुबंध के तहत कोई भुगतान टी ई सी. सी और आई टी ए के माध्यम से किया जाएगा।

अनुच्छेद-12 अनुबंध का कार्यांवयन

- 1. सीमा शुल्क प्रशासन, पक्षकारों के माध्यम से अनुबंध के अधीन एक दूसरे को नामनिर्दिष्ट नोडल अधिकारियों के ब्यौरे अधिसूचित करेंगे।
- 2. सीमा शुल्क प्रशासन:
- (क) इस अनुबंध से उत्पन्न मामलों को निपटाने के प्रयोजन से सीधे संप्रेषण करेंगे।
- (ख) परामर्श के बाद, कोई ऐसे प्रशासनिक निदेश जारी करेंगे जो इस अनुबंध के कार्यांवयन के लिए आवश्यक हो; और
- (ए) अनुबंध के निर्वचन या लागू करने से उत्पन्न समस्याओं या प्रश्नों का समाधान करने के लिए आपसी सहमति से प्रयास करेंगे।
- 3. ऐसे संघर्ष जो सीमा शुल्क प्रशासनों के बीच निपटाए न जा सकें उन्हें पर्काकारों को संदर्भित किया जाएगा जिसे वे आपसी परामर्श से हल करने का

अनुच्छेद-13 लागू करना

ि अनुबंध सीमा शुल्क प्रशासनों के भू-भागों में लागू होगा।

अनुच्छेद-14 प्रवर्तन एवं निरसत

٠.,

- ्रा यह अनुबंध हस्ताक्षर होने की तारींख से अगले माह की पहली तारींख से
- 2 कोई भी पक्षकार किसी भी समय दूसरे पक्षकार को स्चना देकर इस अनुबंध को समाप्त कर सकता है। यह समापन दूसरे पक्षकार को निरसन के दारे में अधिस्चित करने की तारीख से तीन माह बाद प्रभावी होगा। फिर भी जिल्लान के समय चल रही कार्यवाहियां इस अनुबंध के प्रावधानों के अनुरुप पूरी
- 3. पक्षकार और उनके नामनिर्दिष्ट प्रतिनिधि जब तक वे लिखित रूप से एक दूसरे को सूचित नहीं करते कि ऐसा करने की जरुरत नहीं है, इसके प्रभावी होने की तारीख से पांच वर्ष के अंत में, यथा आवश्यकता इस अनुबंध की खनीक्षा करने के लिए बैठक करेंगे।
- 4. जिसके साक्ष्य में, अधोहस्तक्षरी अपने संबंधित पक्षकारों द्वारा विधिवत श्राधिकृत होने पर सीमा शुल्क मामलों में आपसी प्रशासनिक सहायता के इस अनुबंध पर हस्ताक्षर करते हैं।

नई दिल्ली में 12 जुलाई, 2011 को चायनीज, हिन्दी और अंग्रेजी भाषा में, प्रत्येक में दो मूल प्रतियों में सम्पन्न तथा सभी पाठ समान रूप से प्रामाणिक। निर्वचन में अंतर होने के किसी मामले में, अंग्रेजी पाठ ही मान्य होगा।

नई दिल्ली में ताइपेई आर्थिक और सांस्कृतिक केन्द्र ताईपेई में भारत-ताइपेई संघ

为为教

(वेन्च्यी ओंग)

पतिनिधि

(प्रदीप कुमार रावत)

महानिदेशक

AGREEMENT

BETWEEN

TAIREI ECONOMIC AND CULTURAL CENTER IN NEW DELHI

AND

INDIA-TAIPEI ASSOCIATION IN TAIPEI

REGARDING MUTUAL ASSISTANCE IN CUSTOMS MATTERS

Taipei Economic and Cultural Center in New Delhi (TECC) and the India-Taipei Association in Taipei (ITA), hereinafter referred singularly as "the Party" and collectively as "the Parties"

©ONSIDERING that offences against Customs laws are prejudicial to their economic, fiscal and commercial interests;

©ONSIDERING further the importance of assuring the accurate assessment of Customs duties and other taxes;

RECOGNIZING the need for cooperation in matters related to administration and enforcement of the Customs;

HAVING REGARD to the international conventions containing prohibitions, restrictions and special measures of control in respect of specific goods;

CONVINCED that action against Customs offences can be made more effective by cooperation between the designated representatives of TECC and ITA; and

HAVING REGARD to the Recommendation of the Customs Cooperation Council regarding Mutual Administrative Assistance of December 5, 1953;

lave agreed as follows:

ARTICLE 1 DEFINITIONS

٠.,

For the purposes of the present Agreement:

- The designated representative of TECC is the Department of Customs Administration, Ministry of Finance; and the designated representative of ITA is the Central Board of Excise and Customs, Department of Revenue, Ministry of Finance hereinafter referred to jointly as "Customs Administrations" and singularly as "Customs Administration";
- 2. "Customs laws" mean the laws and regulations enforced by the Customs Administrations concerning the importation, exportation, and transit or circulation of goods as they relate to Customs duties, charges, and other taxes or to prohibitions, restrictions, and other similar controls in respect of the movement of goods across the boundaries of their separate territories;
- g. "information" means data in any form, documents, records, and reports or certified or authenticated copies thereof;
- 4. "Customs offence" means any violation or attempted violation of the Customs laws;
- 5. "person" means any natural or legal person;
- 6. "requesting administration" refers to the Customs

 Administration which requests for assistance;
- 7. "requested administration" refers to the Customs Administration from which assistance is requested;
- "requesting party" refers to the Party which requests for assistance;
- "requested party" refers to the Party from which assistance is requested.

ARTICLE 2 SCOPE OF AGREEMENT

- The Parties, through their Customs Administrations, shall assist each other, in accordance with the provisions of this Agreement, in preventing, investigating, and combating any Customs offence.
- Mutual assistance under this Agreement shall be provided in accordance with the domestic laws in force in the territory of the Requested Administration and within the competence and available resources of the Requested Administration.
 - This Agreement is intended solely for mutual assistance between the Parties and the Customs Administrations, and the provisions of this Agreement shall not give rise to a right on the part of any private person to obtain, suppress, or exclude any evidence, or to impede the execution of a request.

ARTICLE 3 SCOPE OF GENERAL ASSISTANCE

- Upon request, a Customs Administration shall provide assistance, in the form of information necessary to ensure the enforcement of the Customs laws and the accurate assessment of Customs duties and other taxes by the Customs Administrations.
- Upon request or upon its own initiative, a Customs
 Administration may provide assistance, including but not limited to:
 - (a) methods and techniques of processing passenger and cargo clearance;
 - (b) the successful application of enforcement aids and techniques;
 - (c) enforcement actions that might be useful to suppress offences and, in particular, special means of combating Customs offences; and

- (d) new methods used in committing offences, and in illicit traffic cases.
- 3. The Customs Administrations shall cooperate in:
 - (a) establishing and maintaining channels of communication to facilitate the secure and prompt exchange of information;
 - (b) facilitating effective coordination;
 - (c) the use and testing of new equipment or Customs procedures;
 - (d) regular exchange of information to assist in targeting international illicit trafficking;
 - (e) the exchange of experts knowledgeable in Customs laws and regulations, practices and procedures;
 - (f) training activities and capacity building to develop specialized skills for Customs personnel; and
 - (g) any other matter that may from time to time require their joint consideration and action.

ARTICLE 4 SCOPE OF SPECIFIC ASSISTANCE

- 1. Upon request, the Customs Administrations shall inform each other whether goods exported from the territory of one Customs Administration have been lawfully imported into the territory of the other Customs Administration or whether goods imported into the territory of one Customs Administration have been lawfully exported from the territory of the other Customs Administration. If requested, the information shall contain the Customs procedure used for clearing the goods.
- 2. Upon request, a requested administration shall facilitate, special surveillance of:
 - (a) persons known to the requesting administration to have committed a Customs offence or suspected of doing so, particularly those moving into and out of its territory;

 (b) goods either in transport or in storage identified by the requesting administration as giving rise to suspected illicit traffic toward its territory; ٠,,

- (c) means of transport suspected of being used in offences within the territory of the requesting administration; and
- (d) premises in the territory of the requested administration known to have been used or suspected of being used in connection with the commission of a Customs offence in the territory of the requesting administration.
- 3. Upon request or on their own initiative, the Customs Administrations shall furnish to each other information regarding the activities that may result in offences within the territory of the other Customs Administration. In situations that could involve substantial damage to the economy, public health, public safety, environment, security or any other vital interests of the territory of the other Customs Administration, the Customs Administrations, wherever possible, shall supply such information of their own accord.
- Upon request, the Customs Administrations shall provide information relating to transportation and shipment of goods showing destination, description, quantity, value, origin and disposition of those goods.

ARTICLE 5 EXCHANGE OF INFORMATION

- A requesting administration may request for originals of documents and other materials only in the cases where availability of copies thereof would be insufficient to achieve the objectives of the Agreement. Upon request, the requested administration shall provide properly authenticated copies of such documents and other materials.
- Unless the requesting administration specifically requests originals or copies, the requested administration may transmit computer based information in any form. The requested

administration shall supply all information relevant for interpreting or utilizing computer based information simultaneously.

- If the requested administration agrees, employees designated by the requesting administration may examine, in the offices of the requested administration, information relevant to an offence and make copies thereof or extract information therefrom.
- 4. Originals of documents and other materials that have been transmitted shall be returned at the earliest opportunity and forthwith if such a request is made by the requested administration for their return; rights of the requested administration or of third parties relating thereto shall remain unaffected.
- 5. Wherever the information exchanged pursuant to this Agreement is in a language other than English, it shall be accompanied with an authenticated English version.

ARTICLE 6 WITNESSES

- Except in extraordinary circumstances, the requested administration shall authorize its employees to appear as witnesses in judicial or administrative proceedings in the territory of the requesting administration and to produce documents, other materials or authenticated copies thereof.
- Where an employee, requested to appear as a witness, is entitled to any applicable immunities, the requested administration will sympathetically consider a waiver of immunity under such conditions as it determines to be appropriate.

ARTICLE 7 COMMUNICATION OF REQUESTS

٠.,

1. Requests pursuant to this Agreement shall be made in writing directly between nodal officers designated by the respective Customs Administrations and notified to the other Customs Administration. Information deemed useful for the execution of requests shall accompany the request. In urgent situations, oral requests may be made and accepted, but shall be promptly confirmed in writing.

2. Requests shall include:

- (a) the name of the authority making the request;
- (b) the nature of the matter or proceedings;
- (c) a brief statement of the facts and offences involved;
- (d) the reasons for the request; and
- (e) the names and addresses of the parties concerned in the matter, or proceedings, if known.

ARTICLE 8 EXECUTION OF REQUESTS

- 1. The requested administration shall take all reasonable measures to execute a request and shall endeavor to secure execution of any measure necessary for that purpose.
- If the requested administration is not the appropriate agency to execute a request, it shall request the appropriate domestic agency to execute the request and communicate the outcome to the requesting administration.
- 3. The requested administration shall conduct such inspections, verifications, fact-finding inquiries, or other investigative steps, including the questioning of experts, witnesses, and persons suspected of having committed an offence, as are necessary to execute a request. Requesting administration employees may be present at the above-mentioned actions conducted by the requested administration, with the prior approval of the requested administration, solely in an advisory capacity.

- 4. Upon request, the requesting administration shall be advised of the time to be taken and place of action in execution of a request.
- 5. The requested administration shall comply with a request that a certain procedure be followed to the extent that such procedure is not prohibited by its domestic laws.
- 6. The requested administration shall provide the requested information at the earliest possible, preferably within a period of 6 months.

ARTICLE 9 CONFIDENTIALITY OF INFORMATION

- Information obtained under this Agreement shall be accorded the same degree of confidentiality by the requesting administration that it applies to similar information in its possession.
- 2. Information obtained under this Agreement may only be used or disclosed for the purposes specified in this Agreement, including use in judicial, administrative, criminal or investigative proceedings. Such information may be used or disclosed for other purposes or to other authorities if the requested administration has expressly approved such use or disclosure in writing.
- 3. Upon request of the requested administration, the requesting administration shall treat information received as confidential except to the extent necessary to fulfill the purposes of this Agreement or to the extent that the requested administration has given its consent. The requested administration shall state its reasons for making a request for confidentiality.
- 4. This Article shall not preclude the use or disclosure of information to the extent that there is an obligation to do so under the Constitution or relevant laws of the requesting administration in connection with a criminal prosecution. The

requesting administration shall give advance notice of any such proposed disclosure to the requested administration.

٠,,

ARTICLE 10 EXEMPTIONS

- Where the requested administration determines that granting assistance would infringe upon its security, public policy or similar essential interests, or would be inconsistent with its domestic laws or regulations, the requested administration may refuse or withhold assistance, or may grant it subject to the satisfaction of certain conditions or requirements.
- If the requesting administration would be unable to comply with a similar request made by the requested administration, it shall draw attention to that fact in its request. Compliance with such a request shall be at the discretion of the requested administration.
- 3. The requested administration may postpone assistance on the ground that it will interfere with an on-going investigation, prosecution or proceeding. In such instance, the requested administration shall consult with the requesting administration to determine if assistance can be given subject to such terms or conditions as the requested administration may require.
- 4. In the event that a request cannot be complied with, the requesting administration shall be promptly notified and provided with a statement of the reasons for postponement or denial of the request. Circumstances that might be of importance for the further pursuit of the matter shall also be provided to the requesting administration.

ARTICLE 11 COSTS

1. The Parties and their designated representatives shall normally waive all claims for reimbursement of costs incurred in the implementation of this Agreement with the exception of expenses for experts and witnesses, fees of experts, and costs

of translators and interpreters other than employees of the authorities represented by the Parties.

- 2. If expenses of a substantial and extraordinary nature are or will be required to execute the request, the Parties and their designated representatives shall consult to determine the terms and conditions under which the request will be executed as well as the manner in which the costs shall be borne.
- 3. Any payments under this Agreement shall be made through TECC and ITA.

ARTICLE 12 IMPLEMENTATION OF THE AGREEMENT

- The Customs Administrations shall notify each other details of the designated nodal officers under the Agreement through the Parties.
- 2. The Customs Administrations shall:
 - (a) communicate directly for the purpose of dealing with matters arising out of this Agreement.
 - (b) after consultation, issue any administrative directives necessary for the implementation of this Agreement;
 and
 - (c) endeavour by mutual accord to resolve problems or questions arising from the interpretation or application of the Agreement.
- 3. Conflicts that may not be resolved between Customs Administrations shall be referred to the Parties who may then strive to resolve the same through mutual consultations.

ARTICLE 13 APPLICATION

This Agreement shall be applicable to the territories of Customs Administrations.

ARTICLE 14 ENTRY INTO FORCE AND TERMINATION

- 1. This Agreement shall enter into force from the first day of the month succeeding the month of the date of signature.
- 2. Either Party may terminate this Agreement at any time by notification to the other Party. The termination shall take effect three months from the date of notification of termination to the other Party. Ongoing proceedings at the time of termination shall nonetheless be completed in accordance with the provisions of this Agreement.
- The Parties and their designated representatives shall meet in order to review this Agreement, as necessary, or at the end of five years from its entry into force, unless they notify one another in writing that no such review is necessary.
- IN WITNESS WHEREOF the undersigned being duly authorized thereto by their respective parties have signed this Agreement on Mutual Administrative Assistance in Customs Matters.

DONE at New Delhi, this 12th day of July 2011, in two Original Copies each in the Chinese, Hindi and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence of interpretation, the English text shall prevail.

TAIPEI ECONOMIC AND CULTURAL CENTER IN NEW DELHI INDIA-TAIPEI ASSOCIATION IN TAIPEI

到为强

(WENCHYI ONG) REPRESENTATIVE (PRADEEP KUMAR RAWAT)
DIRECTOR GENERAL